IS 4746: 2023
Transport of Dogs and Cats by Rail, Road and Air — Code of Practice *(First Revision)*

Dogs and cats are commonly kept as domestic pets and serve various other purposes such as guiding visually impaired individuals, providing therapy assistance, serving in watch and protection roles, and aiding in police and military operations such as tracking criminals or detecting explosives. Additionally, they are used as laboratory animals for scientific and biomedical research. Due to the frequent transportation needs of these animals, a common code for their transport has been established.

This standard was first published in 1968. However, a revision was undertaken to update the transportation guidelines, incorporating current best practices to ensure the health and well-being of dogs and cats during transportation. The following significant changes have been made:

a) The general conditions for transporting dogs and cats have been modified to specify that the fitness certificate required for transport should be issued by a veterinarian registered with the Indian or State Veterinary Council. The format for this certificate is provided in Annex A, following Schedule A of the Transport of Animals Rules, 1978.

b) The responsibilities of attendants during road travel have been elaborated, and necessary documentation requirements for transportation have been included.

c) The requirements for air travel have been revised to ensure sufficient ventilation and an oxygenated environment for temperature-sensitive species of dogs and cats. Additionally, appropriate adsorbent bedding material has been included.

d) The clause regarding containers for transportation has been expanded to address the container's material, placement, and general structure. The aim is to protect the animals from sudden impacts, injuries, and discomfort.

e) The labeling requirements for containers have been modified, removing the term "livestock" and incorporating suitable labeling instructions along with basic documentation for identification and emergency contact information.

f) The responsibilities of consignors and consignees have been further elaborated under the "Care in transit" clause.

While developing this standard, due consideration was given to the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960, and the rules framed under it, as well as the Central Motor Vehicles Rules, 1989. However, it is important to note that this standard is subject to the restrictions imposed by these rules, where applicable.

IS 4746: 2023
रेल, सड़क और हवाई मार्ग से कुत्तों और बिल्लियों का परिवहन — रीति संहिता *(पहला पुनरीक्षण)*

कुत्तों और बिल्लियों को आमतौर पर घरेलू पालतू जानवरों के रूप में रखा जाता है और वे कई अन्य उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं जैसे दृष्टिबाधित व्यक्तियों का मार्गदर्शन करना, चिकित्सा सहायता प्रदान करना, निगरानी और सुरक्षा भूमिकाओं में सेवा करना, और पुलिस और सैन्य अभियानों में सहायता जैसे अपराधियों पर नज़र रखना या विस्फोटकों का पता लगाना। इसके अतिरिक्त, उनका उपयोग वैज्ञानिक और जैव चिकित्सा अनुसंधान के लिए प्रयोगशाला जानवरों के रूप में किया जाता है। इन जानवरों की लगातार परिवहन आवश्यकताओं के कारण, उनके परिवहन के लिए एक सामान्य कोड स्थापित किया गया है।

यह मानक पहली बार 1968 में प्रकाशित हुआ था। हालाँकि, परिवहन दिशानिर्देशों को अद्यतन करने के लिए एक संशोधन किया गया था, जिसमें परिवहन के दौरान कुत्तों और बिल्लियों के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल किया गया था। निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं:

ए) कुत्तों और बिल्लियों के परिवहन के लिए सामान्य शर्तों को यह निर्दिष्ट करने के लिए संशोधित किया गया है कि परिवहन के लिए आवश्यक फिटनेस प्रमाण पत्र भारतीय या राज्य पशु चिकित्सा परिषद के साथ पंजीकृत पशुचिकित्सक द्वारा जारी किया जाना चाहिए। इस प्रमाणपत्र का प्रारूप पशु परिवहन नियम, 1978 की अनुसूची ए के बाद अनुबंध ए में प्रदान किया गया है।

बी) सड़क यात्रा के दौरान परिचारकों की जिम्मेदारियों को विस्तृत किया गया है, और परिवहन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं को शामिल किया गया है।

ग) कुत्तों और बिल्लियों की तापमान-संवेदनशील प्रजातियों के लिए पर्याप्त वेंटिलेशन और ऑक्सीजन युक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए हवाई यात्रा की आवश्यकताओं को संशोधित किया गया है। इसके अतिरिक्त, उपयुक्त अवशोषक बिस्तर सामग्री भी शामिल की गई है।

घ) कंटेनर की सामग्री, प्लेसमेंट और सामान्य संरचना को संबोधित करने के लिए परिवहन के लिए कंटेनरों से संबंधित खंड का विस्तार किया गया है। इसका उद्देश्य जानवरों को अचानक लगने वाले प्रभावों, चोटों और असुविधा से बचाना है।

ई) कंटेनरों के लिए लेबलिंग आवश्यकताओं को संशोधित किया गया है, "पशुधन" शब्द को हटा दिया गया है और पहचान और आपातकालीन संपर्क जानकारी के लिए बुनियादी दस्तावेज के साथ उपयुक्त लेबलिंग निर्देश शामिल किए गए हैं।

च) "पारगमन में देखभाल" खंड के तहत प्रेषकों की जिम्मेदारियों को और अधिक विस्तृत किया गया है।

इस मानक को विकसित करते समय, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 और इसके तहत बनाए गए नियमों, साथ ही केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 पर उचित ध्यान दिया गया था। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह मानक इन नियमों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन है, जहां लागू हो।